मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 28/6/81-जी0 एस0-II, दिनांक 14 मई, 1982 की प्रति

विषय :—राज्य में बाढ़ के दौरान, बाढ़ कन्ट्रोल कार्य में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यालय समय के बाद रात्रि को तथा छुट्टी वाले दिन दी जाने वाली ड्यूटी के बदले प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करना।

महोदय,

मुझे निदेश हुए हैं कि उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान दिलाऊं और कहूं कि राज्य में बाढ़ के दौरान, बाढ़ कन्ट्रोल कार्य के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों की रात्रि तथा छुट्टी वाले दिनों में ड्यूटियां लगाई जाती हैं और इस प्रकार की ड्यूटी देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को कुछ सुविधा देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो अधिकारी/कर्मचारी बाढ़ कन्ट्रोल कार्य में कार्यालय समय के बाद रात्रि को या छुट्टी वाले दिन ड्यूटी देते हैं, उन्हें इस प्रकार की ड्यूटी के बदले प्रतिपूरक अवकाश प्रदान किया जाये। इस सम्बन्ध में प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने की निम्नलिखित शर्तें होंगी :—

1. इस प्रकार की ड्यूटी देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिपूरक अवकाश ड्यूटी देने की तिथि से एक मास के अन्दर-अन्दर लेना होगा अन्यथा यह अवकाश लैप्स हो जायेगा। यदि प्रशासकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मांगा गया अवकाश सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को एक मास के अन्दर-अन्दर नहीं प्रदान किया जा सकेगा तो उस सूरत में प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने की अवधि 6 सप्ताह होगी।
2. इस अवकाश को अन्य राजपत्रित अवकाश के साथ मिलाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. इस अवकाश के दौरान सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से कार्य स्थान छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

भवदीय,

हस्त/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक-एक प्रति सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को भेजी जाती है :—

वित्तायुक्त राजस्व तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार। प्रधान सचिव, मुख्य मन्त्री/सचिव/निजि सचिव, मुख्य मंत्री/मंत्री/उप-मंत्री।